न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–दिनेश कुमार यादव,आई.ए.एस

AS
1

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 41/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मोतीसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी कसुम्बी जाखला तहसील लाडनूं जिला नागौर, राज0		1. रामूराम पुत्र जेसाराम जाति जाट निवासी कसुम्बी जाखला तहसील लाडनूं जिला नागौर 2. राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी जसवन्तगढ

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजाराम।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री गोपालराम गोदारा।

आदेश दिनांक– 19/12/19

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 411 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनूं के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 111/2016 राज्य सरकार जरिये एस.एच.ओ. जसवन्तगढ बनाम पार्टी संख्या 1 मोतीसिंह व पार्टी संख्या 2 रामूराम को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या–2 को नोटिस भेजा गया परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय में धारा 145 व 146 द.प्र.सं. के तहत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 रामूराम के विरूद्ध इस आशय की पेश किया कि मौजा कसुम्बी जाखला स्थित खेत खसरा नं. 7 प्रार्थी की खातेदारी व कब्जासुदा है जिस पर खरीद के समय से प्रार्थी बतौर खातेदारी काबिज है व अप्रार्थी रामूराम उक्त खसरे के पूर्वी तरफ स्थित खसरा नम्बर 23 का खातेदार है जो नाजायज रूप से प्रार्थी की कब्जासुद खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 7 पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में होने व समझाईश के बावजूद नहीं मानने व उक्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य अत्यन्त विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त कार्यवाही की गयी जिस पर परिवाद/प्रार्थना पत्र को जांच हेतु थाना जसवन्तगढ भेजा गया व थानाधिकारी जसवन्तगढ ने अपनी जांच में मुतनाजा भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य अत्यन्त विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त कार्यवाही की गयी जिस पर परिवाद/प्रार्थना पत्र को जांच हेतु थाना जसवन्तगढ भेजा गया व थानाधिकारी जसवन्तगढ ने अपनी जांच में मुतनाजा भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य अत्यन्त विवाद व खून खच्चर मारकाट की स्थिति उत्पन्न होना माना है व उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनू के बाद जांच परिवाद पेश कर उक्त आराजी को कुर्क करना आवश्यक व न्याय संगत होना बताया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि को कुर्क की जाकर कब्जा राज तहवील लेने हेतु तहसीलदार लाडनूं की रिसीवर नियुक्ति किया जो आदेशानुसार तहसीलदार लाडनूं द्वारा उपरोक्त भूमि को कुर्क कर कब्जा राज तहवील लिया गया। उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2016 के विरूद्ध निगरानी अप्रार्थी/पार्टी संख्या 2 रामूराम द्वारा न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश डीडवाना में की गयी, जिस फौजदारी निगरानी संख्या 17/16 रामूराम बनाम राज0 सरकार वगैराह में दिनांक 31.08.2019 को आदेश पारित करते हुए निगरानी खारिज करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं द्वारा इस्तगासा संख्या 111/16 राज0 राज्य जरिये एस.एच.ओ. जसवन्तसिंह बनाम मोतीसिंह व रामूराम में दिनांक 02.05.2016 को पारित आक्षेपित

Scanned by CamScanner

आदेश की पुष्टि की गयी। तत्पश्चात् उक्त निगरानी के आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी रामूराम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में धारा 482 सीआरपीसी के तहत् एस.बी. क्रिमी. मिस. पिटिशन नं. 4935 / 2019 रामूराम बनाम स्टेट ऑफ राज0 व अन्य पेश की जिसके साथ स्थगन आदेशिका आवेदन भी ..ा किया जिस पर दिनांक 13.09.2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया व विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारों को पाबंद करते हुए आदेश पारित किये तथा उक्त प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 21.01.2020 को उच्च न्यायालय में होनी है जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण व अधिनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकेश चौधरी को भलीभांती है।

अप्रार्थी रामूराम के आम मुख्त्यार राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामूराम जाट निवासी कसुम्बी जाखला अधिनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं श्री मुकेश चौधरी के चेम्बर व आवास पर आता जाता है तथा उक्त पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी रामूराम के पुत्र के खास मिलने वाले होने व जाति बिरादरी के होने के कारण उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मौके की यथास्थिति के होने के बावजूद विवादित आराजी को कुर्क करके कब्जा राज तहवील जरिये तहसीलदार लाडनूं दिया गया है उक्त आदेश को अपास्त / निष्प्रभावी करने की फिराक में है तथा अप्रार्थी रामूराम व उसका आम मुख्त्यार उसका पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जो कि स्थानीय राजनीति में सक्रिय होने व राजनेतिक रसूखात रखने के कारण पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश चौधरी को अनुचित दवाब व प्रभाव में लेकर विवादित आराजी के संबंध में दिनांक 02.05.2016 को पारित कुर्की आदेश को समाप्त करवाने की तैयारी कर ली है तथा पिछले 4–5 दिन से ऐसी खुले आम धमकियां दी जा रही है कि पीठासीन अधिकारी मुकेश चौधरी से बात हो गयी है जल्द ही भूमि को रिसीवर से मुक्त करवा कर कब्जा करके रहेगे तथा प्रार्थी स्वंय ने उक्त अप्रार्थी रामूराम के आम मुख्त्यार राजेन्द्र प्रसाद जो कि रामूराम का सगा पुत्र है उसको पीठासीन अधिकारी के चेम्बर व आवास पर आते जाते व इस प्रकरण के संबंध में वार्ता करने व जल्दी ही प्रकरण में पारित पूर्व आदेश को निष्प्रभावी कर कब्जा रामूराम व उसके पुत्र को देने के संबंध में वार्ता करते सुना है तथा प्रार्थी को भी राजेन्द्र प्रसाद व पीठासीन अधिकारी ने इस बाबत खुले आम इजलास में कह दिया है कि दो–चार दिन में उक्त प्रकरण को उनको फैसला करना है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह पूरी आंशका है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में विधि विरूद्ध तरीके से राजेन्द्र प्रसाद के दबाव व राजनेतिक प्रभाव के चलते मुझ प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात करते हुए अवैधानिक रूप से निर्णय पारित करने पर आमादा होने से इस प्रकरण की पत्रावली अन्यत्र सक्षम उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई व निर्णय हेतु मुन्तकिल किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है अथवा न्यायालय में अग्रिम सुनवाई हेतु दर्ज करवाई जाना भी आवश्यक व न्याय संगत है ताकि पक्षकारों के मध्य न्याय पूर्ण निर्णय हो सके।

उपरोक्त परिस्थितियों में उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं की अदालत में विचाराधीन प्रकरण संख्या 111 / 16 बअनवान राज0 राज्य जरिये एस.एच.ओ. जसवन्तगढ बनाम पार्टी संख्या 1 मोतीसिंह व पार्टी संख्या 2 रामूराम अधीन धारा 145, 146 दप्रसं. की पत्रावली को सुनवाई व निर्णय हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं के न्यायालय से अन्यत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विकल्प में न्यायालय हाजा में मुन्तकिल करने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

वकील श्री गोपालराम गोदारा ने अप्रार्थी संख्या 2 रामूराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कसुम्बी जाखला तहसील लाडनूं जिला नागौर राज. ने जरिये मुख्त्यार राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामूराम की ओर से प्रस्तुत जवाब को हूबहू दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र संख्या 1 पूर्णत गलत अंकित करवाया गया है उक्त रिसिवरी आदेश अप्रार्थी संख्या 1 से आपसी मिलिभगत करके करवाया गया है। पक्षकारों के बीच उक्त भूमियों को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा है ना ही कभी कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज हुए है तथा थानाधिकारी जसवन्तगढ ने गलत रिपोर्ट बनाकर इस्तगासा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं के समक्ष पेश कर उक्त आदेश दिनांक 02.05.2016 जारी करवाया है। जिसकी नियमित सुनवाई उपखण्ड अधिकारी लाडनूं द्वारा हाल ही में प्रारम्भ की गयी है जिससे प्रकरण की सत्यता सामने आने के

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

AI 3

डर से प्रार्थी ने उक्त आरोप अपनी मर्जी से पूर्णतया गलत लगाये है तथा अन्य प्रकरणों के समानान्तर ही इस प्रकरण की सुनवाई न्यायालय द्वारा की जा रही है। इसलिए पीठासीन अधिकारी के प्रति लगाये गये आरोप पूर्णतया गलत लगाये गये है क्योंकि स्वंय प्रार्थी को इसी न्यायालय से मिलीभगत करके गलत आदेश प्राप्त हुआ है तथा अब स्वंय प्रार्थी इसी न्यायालय पर आंशका जताकर प्रकरण को मुन्तकिल करवाना चाह रहा है। प्रार्थी एक सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी जिसको इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिये कि न्यायालय में उपस्थित होने का तात्पर्य प्रकरण का जवाब क्लेम व अपना पक्ष रखना होता है जबकि प्रार्थी ने हास्यापद स्थिति पैदा करते हु कथन किया है कि मात्र उपस्थिति के लिये ही तारीख पेशी दी गयी थी जो कि अत्यन्त सोचनीय स्थित को दर्शाता है। क्योंकि पार्टी संख्या 2 ने नियमानुसार ही अपना पक्ष व क्लेम तथा आवेदन पेश किया है जिनकी प्रति पार्टी संख्या 1 ने प्राप्त की है तथा उनका जवाब भी पत्रावली में पेश कर दिया है व मामले को लम्बित करने के उद्देश्य से अनावश्यक आवेदन भी पत्रावली में पेश किये है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी स्वंय इस प्रकरण को लम्बा खेंचना चाहता है तथा प्रकरण का बाद सुनवाई निर्णय नहीं करवाना चाहता है क्योंकि प्रकरण की सुनवाई हो जाने से इस मामले की सत्यता सामने आ सकती है क्योंकि उक्त प्रकरण पूर्णतया मिलीभगत करके तैयार करवाया गया था तथा अप्रार्थी संख्या 2 की कब्जा स्वामित्व की भूमि को गलत तरीके से कुर्क कर रिसिवर नियुक्त किया गया था इसलिए सही निर्णय आने के डर से प्रार्थी द्वारा यह गलत आवेदन गलत आरोप लगाकर पेश गया है। प्रार्थी ने जो राजनैतिक आरोप अप्रार्थी संख्या 2 व पीठासीन अधिकारी पर लगाये है व पूर्णतया गलत आरोप लगाये है। पार्टी संख्या 2 या उसके पुत्र द्वारा किसी भी समय इस प्रकार की कोई धमकी आदि नहीं दी गयी है क्योंकि प्रार्थी वर्तमान में पुष्कर रहता है जो मात्र न्यायालय में उपस्थिति हेतु ही आता है इसके अलावा अप्रार्थी व प्रार्थी की किसी भी समय कोई मुलाकात भी नहीं होती इसलिए यह आवेदन व इसमें वर्णित कथन गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण का पैरा संख्या 3 प्रार्थी ने पूर्णतया गलत अंकित करवाया है वर्तमान पीठासीन अधिकारी पूर्णतया ईमानदार एंव योग्य व्यक्ति है जिन पर लगाये गये सम्पूर्ण आरोप प्रार्थी की नीचले स्तर की सोच को दर्शाता है क्योंकि स्वंय प्रार्थी न्यायिक अधिकारी रह चुका है तथा किसी अन्य अधिकारी पर इस प्रकार के आरोप लगाना अपने पद की शोभा के विपरीत है इसके बावजूद भी प्रार्थी ने इस प्रकार के आरोप लगाये है जो पूर्णतया गलत एंव निराधार है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी इस सिद्धान्त को मानता है कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिये इसलिए अप्रार्थी द्वारा अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख दिया गया है तथा विधि अनुसार ही आवेदन न्यायालय के समक्ष पत्रावली में पेश किये है जबकि अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र विधि नियमों के विपरित पेश किये गये है जिनको पढने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि प्रार्थी इस प्रकरण का निस्तारण होने देना नहीं चाहता है तथा मामले को लम्बित करना चाहता है इसी उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है जो कि स्वच्छ हाथो से पेश नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है इसके अलावा प्रार्थी द्वारा गांव के लोगो को कई बार धमकी भी दी जा चुकी है कि इसकी फेक्ट्री तो मैने बंद करवा दी है तथा जब तक इसको दर बदर की ठोकरे लायक नहीं छोडता तब तक मै इस प्रकरण का निर्णय नहीं होने दूंगा। जिससे प्रार्थी की नियत स्पष्ट हो गयी है कि इस मामले को जानबुझकर लम्बित रखा जाये। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 398 से 401, आर.बी.जे. (14) 2007 पेज 402 से 403 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी रामूराम के आम मुख्त्यार राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामूराम जाट निवासी कसुम्बी जाखला अधिनस्थ उपखण्ड मजिस्ट्रेट लाडनूं श्री मुकेश चौधरी के चेम्बर व आवास पर आता जाता है तथा उक्त पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी रामूराम के पुत्र के खास मिलने

Scanned by CamScanner

वाले होने व जाति बिरादरी के होने के कारण उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश मौके की यथास्थिति के होने के बावजूद विवादित आराजी को कुर्क करके कब्जा राज तहवील जरिये तहसीलदार लाडनूं दिया गया है उक्त आदेश को अपास्त/निष्प्रभावी करने की फिराक में है तथा अप्रार्थी रामूराम व उसका आम मुख्त्यार उसका पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जो कि स्थानीय राजनीति में सक्रिय होने व राजनेतिक रसूखात रखने के कारण पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश चौधरी को अनुचित दवाब व प्रभाव में लेकर विवादित आराजी के संबंध में दिनांक 02.05.2016 को पारित कुर्की आदेश को समाप्त करवाने की तैयारी कर ली है तथा पिछले 4–5 दिन से ऐसी खुले आम धमकियां दी जा रही है कि पीठासीन अधिकारी मुकेश चौधरी से बात हो गयी है जल्द ही भूमि को रिसीवर से मुक्त करवा कर कब्जा करके रहेगे तथा प्रार्थी स्वंय ने उक्त अप्रार्थी रामूराम के आम मुख्त्यार राजेन्द्र प्रसाद जो कि रामूराम का सगा पुत्र है उसको पीठासीन अधिकारी के चेम्बर व आवास पर आते जाते व इस प्रकरण के संबंध में वार्ता करने व जल्दी ही प्रकरण में पारित पूर्व आदेश को निष्प्रभावी कर कब्जा रामूराम व उसके पुत्र को देने के संबंध में वार्ता करते सुनना बताते हुऐ अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होना बताया है। अप्रार्थी ने भी प्रार्थी के आरोपों से अस्वीकार किया है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लाडनूं ने अपनी पैरावाईज टिप्पणी में प्रार्थी के आरोपों को अस्वीकार किया है साथ ही टिप्पणी में यह भी अंकित किया है कि किसी पक्षकार के मन में न्याय को लेकर संदेह हो तो वह(पीठीसन अधिकारी) भी प्रकरण में कार्यवाही करना उचित नहीं समझते है। प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे मत में किसी पक्षकार को किसी न्यायिक प्रकरण में न्याय मिलने की शंका उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय को सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया जाना उचित है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत मामले में हूबहू चस्पा नहीं होते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 111/2016 सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर बनाम पार्टी नं.1 मोतीसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत वगैरह अन्तर्गत धारा 145, 146 सी. आर. पी. सी. प्रकरण को प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई करने हेतु उपखण्ड अधिकारी लाडनूं के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी जायल के न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनूं को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी जायल को भी पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 18:03:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: